



रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/ पीएण्डए/ भर्ती/ अनुबंध/ अधिकारी एसडी/2026/14
दिनांक 14 सितंबर 2026

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनीस्टरल अनुसूची 'ए' कंपनी, सीएसएल में अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित पद को भरने के लिए पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले भारतीय नागरिकों से **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित करती है:

I. पद का नाम, शैक्षिक योग्यता और अनुभव:

तालिका 1

<u>पद का नाम</u>	<u>शैक्षिक योग्यता</u>	<u>अनुभव</u>
अनुबंध के आधार पर अधिकारी (कौशल विकास)	राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मेकानिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष।	<u>अनिवार्य:</u> सरकारी आईटीआई/क्षेत्रीय अनुदेश केंद्रों में प्रशिक्षण निरीक्षक/प्रधानाचार्य श्रेणी प्रथम/उप प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्य श्रेणी द्वितीय/प्रशिक्षण अधिकारी/ ट्रेड परीक्षा अधिकारी के रूप में अनुभव। <u>वांछनीय:</u> क) शिक्षता प्रशिक्षण से संबंधित मामलों को संभालने का अनुभव। ख) कंप्यूटरीकृत वातावरण में कार्य करने का ज्ञान।

II. महत्वपूर्ण तिथि:

ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ : 16 सितंबर 2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 01 अक्टूबर 2026

III. रिक्तियों की संख्या और आरक्षण :

तालिका 2

<u>पद का नाम</u>	<u>अनारक्षित</u>
अनुबंध के आधार पर अधिकारी (कौशल विकास)	2

क) अपनी आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाने/घटाने या रिक्ति को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है।

ख) बेंचमार्क दिव्यांगज व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षण भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।



IV. अनुबंध की अवधि:

क) उपरोक्त पद की अनुबंध की अवधि **पांच वर्ष** है।

V. पारिश्रमिक:

क) अनुबंध के पहले वर्ष के दौरान मासिक समेकित वेतन ₹ 43,750/- है, और बाद के वर्षों में वार्षिक वृद्धि लागू होगी।

VI. आयु:

क) सभी पदों के लिए निर्धारित उच्चतम आयु सीमा दिनांक 01 अक्टूबर 2026 को 62 वर्ष से अधिक न हो, यानी आवेदकों का जन्म दिनांक 02 अक्टूबर 1964 को या उसके बाद होना चाहिए।

VII. चयन की रीति:

क) चयन प्रक्रिया **वैयक्तिक साक्षात्कार (100 अंक)** के माध्यम से होगी।

ख) केवल उन्हीं उम्मीदवारों को वैयक्तिक साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जो प्रमाण पत्र सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे।

ग) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल आवेदनों की जांच करने और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों के माध्यम से पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उम्मीदवारों की एक संक्षिप्त सूची तैयार करने का अधिकार रखता है, और केवल ऐसे लघुसूचीगत उम्मीदवारों को ही चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।

घ) चयन पात्रता आवश्यकताओं (आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आरक्षण आदि) के सत्यापन के अधीन होगा, जिसके लिए उम्मीदवार को प्रमाणपत्र सत्यापन के समय आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और आरक्षण श्रेणियों के मूल प्रमाणपत्र सहित स्वयं सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी, अन्यथा उन्हें आगे के चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

ङ) इस पद के लिए रैंक सूची उम्मीदवारों द्वारा वैयक्तिक साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान कुल अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो उम्र की वरिष्ठता के आधार पर संबंधित योग्यता तय की जाएगी।

VIII. शर्तें:

क) आरक्षण

i) आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिस्ट्रल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- ii) बैचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, दिव्यांगजता की डिग्री न्यूनतम 40% होनी चाहिए। आवेदक को इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया एक वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए।

ख) योग्यता

- i) पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/ राज्य/केंद्र सरकार में उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण से द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।
- ii) किसी भी निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता रखनेवाले आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समकक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग) अनुभव

- i) उपरोक्त के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता के बाद के अनुभव की अवधि की गणना दिनांक 01 अक्तूबर 2026 से की जाएगी।
- ii) आवेदक जो हाल ही में किसी कंपनी (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी) में कार्यरत हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में, कंपनी द्वारा जारी नियुक्ति/प्रस्ताव पत्र की प्रति, नवीनतम वेतन पर्ची/आखिरी वेतन की प्रति आदि अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पिछले रोजगार के लिए कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ कार्यमुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रमाणपत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में जमा किए गए अनुभव को स्थापित करने के लिए भी सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न होने पर, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उन्हें आगे के चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- iii) आवेदक जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक/ पेंशन भुगतान आदेश प्रस्तुत करना चाहिए। जिन भूतपूर्व सैनिकों को उनके सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक में योग्यता का समर्थन किया गया है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित शाखा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। सेवा अवधि के दौरान अर्जित की गई ऐसी योग्यता को भी योग्यता के बाद के अनुभव की गणना के लिए माना जाएगा। योग्यता की समकक्षता का दावा करनेवाले भूतपूर्व सैनिकों को प्राधिकरण के साथ उसी के निर्वहन प्रमाणपत्र में समकक्षता या समर्थन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का संदर्भ लें), अनुभव के प्रमाण के रूप में सशस्त्र बलों में संबंधित क्षेत्र में योग्यता और कार्य अनुभव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और यह प्रमाणपत्र सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिस्ट्रल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- iv) आवेदकों को किए कार्यों और कर्तव्यों की प्रकृति, संबंधित कार्यों में संभाले गए दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए, साथ ही अधिसूचित पद के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय इसके प्रमाण में अनुभव प्रमाणपत्र को प्रस्तुति के समय संलग्न करना चाहिए।

घ) आवेदन शुल्क:

- i) ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग आदि) का उपयोग करके ₹400/- (गैर-वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त) आवेदन शुल्क भेजा जाना चाहिए, जिसे दिनांक 16 सितंबर 2026 से 01 अक्टूबर 2026 तक हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ii) अनुसूचित जाति (अ.जा.)/ अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
- iii) सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित लोगों को छोड़कर, उपरोक्त में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।

ड) आवेदन कैसे करें

- (i) आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल, कोच्ची) लिंक पर प्रकाशित यूज़र मैनुअल और एफएक्यू को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आवेदन के दो चरण होते हैं – एक बार पंजीकरण और लागू पद के लिए आवेदन जमा करना। आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा।
- (ii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले आवेदक एसएपी ऑनलाइन पोर्टल में एक बार पंजीकरण कर सकते हैं और आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अपना आवेदन करने की सुविधा हमारी वेबसाइट www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल, कोच्ची) के माध्यम से दिनांक 16 सितंबर 2026 से 01 अक्टूबर 2026 तक प्राप्त की जा सकती है। सीधे या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (iii) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, के प्रमाण के रूप में सभी प्रमाणपत्र और एक नया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ एसएपी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर अपलोड किया गया है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिस्ट्रल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- (iv) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई हैं और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
- (v) विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी मामलों में आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। **कृपया ध्यान दें कि अधूरे आवेदन/ वापस लिए गए आवेदन/ मसौदा स्थिति वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।** आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, आवेदन की स्थिति " **प्रगति में** " के रूप में (इन प्रोसेस) दिखाई जाएगी। आवेदन की प्रस्तुति के बाद, उम्मीदवार "माई एप्लिकेशन्स" लॉग इन करें और प्रक्रिया की पूर्ति सुनिश्चित करें कि आवेदन की स्थिति " **प्रगति में** " है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने या आवेदन वापस लेने के बाद शुल्क की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vi) ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ के लिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्यावाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीएसएल के साथ किसी भी पत्राचार के लिए उद्धृत की जानी चाहिए।
- (vii) आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।
- (viii) वेबसाइट दिनांक **16 सितंबर 2026** से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक **01 अक्तूबर 2026** है। अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें। **आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/फोन द्वारा एसएपी आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है।**

च) सामान्य

- i) **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पदों के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।**
- ii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा:- भूतपूर्व सैनिक एक व्यक्ति है।
(क) जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में योद्धा या गैर-योद्धा के रूप में सेवा की है, और
(i) जो या तो अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्ति या कार्यमुक्त या ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है; या



- (ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या
- (iii) स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से जिसे मुक्त किया गया है।
- (ख) जो इस तरह की सेवा से अनुबंध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन के ज़रिए मुक्त किया गया हो, और एक उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात् निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटी हुई अवधि के लिए पेंशन धारक इसमें शामिल हैं; या
- (ग) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर जारी किए गए हैं या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित; या
- (घ) कार्मिक, जो अप्रैल 14, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या
- (ङ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; या
- (च) चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किए गए या निकाले गए पूर्व-भर्ती और जिन्हें चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान किया जा रहा हो।
- iii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रमाण का मांग करने का अधिकार है, जैसा कि उनके आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल career@cochinshipyard.in के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीएसएल निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेल की किसी भी विलंब/प्राप्ति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iv) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल द्वारा किसी अन्य चरण में सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।



- v) चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- vi) रिक्तियां पूर्ण रूप से एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर हैं और सीएसएल, चयनित उम्मीदवारों की अनुबंध अवधि के दौरान या समाप्ति के बाद नियुक्ति की पेशकश करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।
- vii) अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- viii) पद के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए ई-मेल/ सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in के माध्यम से सूचित किया जाएगा। चयन की अनुसूची ईमेल / सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल,कोच्ची) के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन के लिए उपरोक्त वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल,कोच्ची) को बार- बार देखें।
- ix) केवल ऑनलाइन के ज़रिए आवेदन जमा करने, चयन प्रक्रिया के लिए बुलावा पत्र जारी करने आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है या नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है और आवेदक को सीएसएल में रोज़गार के किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।
- x) नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।
- xi) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि के लिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।
- xii) पद के लिए रैंक सूची का रखरखाव किया जाएगा और रैंक सूची की वैधता अवधि परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने की सलाह देने वाले उम्मीदवारों की सूची से अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, जब तक कि उसी पद के लिए एक नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। रैंक सूची केवल तभी संचालित की जाएगी जब रैंक सूची से शामिल होने के लिए सलाह दी गई उम्मीदवार के शामिल न होने या रैंक सूची से चयनित उम्मीदवार के बाद में अलग होने के कारण कोई रिक्ति होती है। रैंक सूची का उपयोग सक्षम प्राधिकारी से विशिष्ट अनुमोदन सहित रैंक सूची की वैधता के दौरान उत्पन्न होने वाली भविष्य की रिक्तियों को भरने के लिए भी किया जा सकता है।
- xiii) इस अधिसूचना में दर्शाई गई पदों की संख्या मौजूदा आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग होगी, और रैंक सूचियों की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीएसएल के विवेकाधिकार पर उस रैंक सूची से भरा जा सकता है।



- xiv) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और काम की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।
- xv) चयनित उम्मीदवार को कार्यस्थल पर स्मार्ट फोन के उपयोग के संबंध में सीएसएल नीति का अनुपालन करने का वचन देना आवश्यक है।
- xvi) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों के बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।
- xvii) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेजों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।
- xviii) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अन्य अधिकार क्षेत्र होगा।
- xix) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।
- xx) विज्ञापन और चयन के आयोजन से संबंधित किसी और स्पष्टीकरण के लिए हमें कृपया career@cochinshipyard.in ईमेल या लैंडलाइन नं. 0484 - 250 1221 से संपर्क करें।

“किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।”

“केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।”

ह/-

महाप्रबंधक (मानव संसाधन व अध्ययन विकास)